हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड,शिमला–2 (हि0प्र0)

बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों/कामगारों (जिन्होंने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य किया हो) को बोर्ड द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विवरण।

क्रं	योजना का नाम	पात्रता	देय राशि
1.	शादी हेतु वित्तीय सहायता (रूल–282)	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत अविवाहित लाभार्थी के स्वयं के विवाह हेतु मु0 51,000/–(ईकावन हजार) रुपये तथा विवाहित लाभार्थी के दो बच्चों के विवाह हेतु मु0 51,000/–(ईकावन हजार)रुपये प्रत्येक बच्चा, की राशि प्रदान की जाती है।
2.	मातृत्व/पितृत्व प्रसुविधा (रूल–271)	दो माह की सदस्यता	1.पंजीकृत महिला लाभार्थी को प्रसव अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म पर मुबलिग 25,000/–(पच्चीस हजार) रुपये की राशि प्रदान की जाती है। 2. पंजीकृत महिला को दो प्रसवों तक समय–समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से 90 दिन से 26 सप्ताह तक के लिए मातृत्व अवकाश की राशि प्रदान की जाती है। 3. पंजीकृत कर्मकार की पत्नी को दो प्रसवों तक मु0 6000/– (छः हजार रूपये प्रति प्रसव की राशि प्रदान की जाती है। 4. पुरूष लाभार्थी को पितृत्व सुविधा के तहत बच्चे के जन्म पर मु0 1000/– की राशि प्रदान की जाती है।
3.	चिकित्सा सहायता (रूल–280)	सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी और उसके आश्रितों को चिकित्सा उपचार हेतु सरकारी अस्पताल/सरकार द्वारा अनुमोदित/चयनित अस्पतालों/औषधालयों से चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष बाह्य (Outdoor) चिकित्सा उपचार के लिए 50,000/–रू. (पचास हजार), अंतरंग (Indoor) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 1,00,000/–रू. (एक लाख) व गंभीर बीमारी के लिए मु0 5,00,000/–(पांच लाख रूपए) की राशि प्रदान की जाती है।
4.	शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता (रूल–281)	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत सदस्यों के दो बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष निम्न दर से सहायता राशि प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम	राशि (रूपये)
1.	प्रथम कक्षा से आठवीं स्तर तक	मु0 8,400/– प्रत्येक वर्ष
2.	नौवीं से 10+2 स्तर तक	मु0 12,000/– प्रत्येक वर्ष
3.	स्नातकः बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम /बी.बी.ए.या इसके बराबर	मु0 36,000/– प्रत्येक वर्ष
4.	स्नातकोत्तरः कला / वाणिजय/ विज्ञान	मु0 60,000/– प्रत्येक वर्ष
5.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि : एक वर्ष/दो वर्ष/ तीन वर्ष	मु0 48,000/– प्रत्येक वर्ष
6.	पौलिटेक्निक डिप्लोमा (तीन वर्ष)	मु0 60,000/– प्रत्येक वर्ष
	व्यवसायिक जैसे मैडिकल/ इंजीनियरिंग इत्यादि/पी.एच.डी. /अनुसंधान	मु0 1,20,000/– प्रत्येक वर्ष

5.	पैंशन सुविधा (रूल–273): बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व तीन वर्षो में लगातार लाभार्थी रहा हो।		पंजीकृत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पैंशन का हकदार होगा, न्यूनतम पैंशन 1000/–रू (एक हजार) प्रतिमाह।
6.	विकलांगता पैंशन (रूल–275)	सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी की दुर्घटना एवं बिमारियों के कारण हुई विकलांगता की स्थिति में 500/– रूपये (पांच सौ) की राशि प्रतिमाह बतौर पैंशन देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगता की स्थिति में 50,000/– रूपये (पचास हजार) और 50 प्रतिशत से कम विकलांगता में 25,000/–रूपये (पच्चीस हजार)की राशि प्रदान की जाती है।
7.	अन्तिम संस्कार हेतु सहायता (रूल–277)	सदस्यता	नाम निर्देशितों/आश्रितों को रू0 20,000/–(बीस हजार) की राशि देय होगी।
8.	मृत्यु सहायता (रूल–278)	सदस्यता	पंजीकृत सदस्य की मृत्यु कहीं भी किसी दुर्घटना से होती है तो नाम निर्देशितों/आश्रितों को रू0 4,00,000/–(चार लाख) एवं प्राकृतिक मृत्यु पर रू0 2,00,000/– (दो लाख) की राशि देय होगी।
9.	बेटी जन्म उपहार योजना (रूल–298)	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी के दो बेटी के जन्म हेतु मु0 51,000/–(ईकावन हजार) प्रत्येक बेटी) की राशि एफ.डी.आर के रूप में बोर्ड द्वारा दी जाएगी तथा जिसे बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही निकाला जा सकता है।
10.	मानसिक रूप से मंद /अपंग बच्चों के लिए योजना (रूल–299)	सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी के मानसिक रूप से मंद/अपंग बच्चों, की देखभाल के लिए बोर्ड द्वारा मु0 20,000/– (बीस हजार) की राशि प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाएगी।
11	विधवा पैंशन योजना (रूल–300)	सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी की विधवा को मु0 1500/– (पन्द्रह सौ) की राशि प्रत्येक माह बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।
12	होस्टल सुविधा योजना (रूल–301)	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी के बच्चों को होस्टल में रहने पर बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष मु015,000 (पन्द्रह हजार) से मु0 20,000 (बीस हजार) तक की राशि आवास, बोर्डिंग तथा भोजन के लिए प्रदान की जाएगी।
13	मुख्यमंत्री आवास योजना / पी.एम.ए.वाई. (रूल–302)	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी को मुख्यमंत्री/पी.एम. आवास योजना के तहत मु0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) की राशि उनके पी.एम./एम.ए. आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मकान बनाने हेतु बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।

टिप्पणी :

उपरोक्त विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में नवीनतम जानकारी हेतु कृप्या अपने सम्बन्धित श्रम अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें या बोर्ड की बेब साईट www.hpbocwb.nic.in देंखें।

अधिक जानकारी हेतु संबंधित श्रम अधिकारी या बोर्ड के निम्न दूरभाष संख्याः–0177–2629807, 2620256, 2620210, 2625084 से सम्पर्क करें।